विजयलक्ष्मी जो ाी, आईएएस
सचिव

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

प्रिय मुख्य सचिव,

आपने ध्यान दिया होगा कि स्वच्छ भारत–2019 की नई गाइडलाइनों में 'पूर्ण गॉव' अप्रोच पर ध्यान देना दोहराया है।

2. इस ध्यान–केंद्रण के दो कारण हैं। पहला, यह देखने में आया है कि वैयक्तिक घर को लक्षित किए जाने की बजाय गॉव द्वारा स्वयं को ओडीएफ बनाने के सामूहिक प्रयास के तेजी से परिणाम निकलते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह दिखाने के वैज्ञानिक ऑकड़े हैं कि पेचिस में कमी और अच्छा स्वास्थ्य तभी बनता है जब गॉव पूरी तरह ओडीएफ हो जाए अर्थात् सभी ग्रामवासी हर बार भौचालय का प्रयोग करें। एक वि वसनीय अध्ययन का संलग्न ग्राफ इस बात को स्पश्ट कर देगा।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करती हूॅ कि जिलाधीाों/सीईओ, जिला परिशदों सभी को गॉवों को पूर्ण ओडीएफ बनाने को कहें अर्थात् ऐसे गांव जहॉ कोई खुले में भौच नहीं करता। यह भी स्पश्ट किया जाता है कि जहॉ पूर्ण ग्राम सैच्युरे ान अप्रोच पर बल दिया जाना है, वहीं यह भी सुनि चत किया जाए कि सैच्युरे ान के लिए न चुने गए अन्य क्षेत्रों में नैच्युरल डिमांड भी भली–भॉति पूरी की जाती है और अस्वच्छ से स्वच्छ भौचालयों और ग्रामीण हाउसिंग कार्यक्रमों के अंतर्गत बने घरों में भौचालयों की अनदेखी न की जाए।

4. यह कहने की आव यकता नहीं कि ओडीएफ गॉवों पर ध्यान जाने पर आपको निगरानी सिस्टम को तदनुसार सुधारना होगा। जिलों/राज्य कों 2019 तक स्वच्छ बनाने की योजना प्रत्येक वर्श गांवों कों ओडीएफ बनाने के आधार पर बनानी होगी।

सादर

भवदीया,

हस्ता/–

विजयलक्ष्मी जो ाी

सभी मुख्य सचिव और संघ भाासित राज्य